मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल–2.698 हेक्टेयर में **इण्डक्शन फर्नेस** (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्यूसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 07 अप्रेल 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल–2.698 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्यूसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 07.04.2021, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं प्रशांत शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज की ओर से मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय श्री आर.ए. कुरूवंशी जी, एस.डी.एम. घरघोडा श्री ए.के. मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री सीतेश कुमार वर्मा जी, एडिशनल एस.पी. महोदय श्री अभिषेक वर्मा जी उपस्थत अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में रोलिंग मिल क्षमता (30000 टन/वर्ष) का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मती नवीनीकरण जारी किया गया है

जिसकी वैद्यता दिनांक 31.05.2025 तक है। वर्तमान में कम्पनी द्वारा विद्यमान परिसर में ही स्टील इंगाट्स एवं बिलेट्स के उत्पादन हेतु 3 गुणा 15 टन इण्डक्शन फर्नेस (क्षमता–148500 टन/वर्ष), टी.एम.टी. बार/वायर रॉड/एंगल/चैनल/स्टील स्ट्रक्चर/पतरा उत्पादन हेतु संचालित रोलिंग मिल (ईंधन के रूप में एल.डी.ओ./प्रोड्यूसर गैस) में क्षमता विस्तार (क्षमता–30000 टन/वर्ष से 146250 टन/वर्ष) तथा कोल गैसिफायर (क्षमता–7000 सामान्य घनमीटर/घण्टा) की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में हमारे पास 2.698 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नहीं की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित रोलिंग मिल में स्क्रबर का उन्नयन तथा नई इण्डक्शन फर्नेस इकाई में नये बैग फिल्टर कि स्थापना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम के अनुरूप होगी। विद्यमान इकाई के लिए 20 किलो लीटर/दिन जल की आवश्यकता होती है। जिसे भू–जल स्त्रोत से लिया जाता है। प्रस्तावित परियोजना के लिए 75 किलोलीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी भी आपूर्ति भू–जल स्त्रोत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारोपरांत जल की कुल आवश्यकता 95 किलोलीटर/दिन होगी। केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जल राशि के आहरण की अनुमति प्रदान की गई है। रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहॉ से उसे पुर्नचक्रित किया जाता है। घरेलू दूषित जल (1.6 किलो लीटर/दिन) का उपचार सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट द्वारा किया जाता है। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड सर्किट सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे एस.एम.एस. इकाई द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। रोलिंग मिल इकाई के प्रस्तावित क्षमता विस्तार द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पाण्ड में भेजा जावेगा। जहॉ से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनःचक्रित किया जाना प्रस्तावित है। दूषित जल में आईल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के उपचार हेतु आईल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 04 कि.मी./प्रतिदिन होगा एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुर्नउपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी। परिसर में लगभग 0.90 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा अभी तक हमारे द्वारा लगभग 1000 नग वृक्षारोपण किया गया है। आगामी मानसून में विकसित वृक्षारोपण की ओर सघन किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस–पास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया आयेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से

अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 500–600 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 103 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. पंचुराम यादव, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
2. कृष्णा, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
3. गोवर्धन प्रधान, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
4. कन्हैया, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
5. नरेश कुमार, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
6. प्रेम कुमारी, तराईमाल– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करती हूँ।
7. गुरवारी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
8. मीनाबाई, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
9. लीला पाल, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
10. रेवती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
11. सरिता भगत, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
12. मीना, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
13. मुरका, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
14. मीना – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
15. रत्ना, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
16. मेवा, इन्द्रावासस – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
17. रामवती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
18. हसीना, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
19. किर्ती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
20. वृन्दा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
21. रत्ना, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
22. सीमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

23. अंजु कुमारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
24. रामरतन, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
25. शनिराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
26. दीनदयाल, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
27. विजय, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
28. पिन्टु पाण्डे, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
29. श्रवण, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
30. डोरीलाल, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
31. संतोष, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
32. रूपलाल, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
33. रामु यादव, सामारूमा –
34. विष्णु, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
35. सुशीला, तराईमल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
36. मुक्ता, तराईमाल– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
37. कैवना, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
38. लालमति, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
39. मोतीदेवी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
40. अनिता, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
41. नईगा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
42. मालती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
43. आशमति, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
44. सुनीता, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
45. पांचोबाई, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
46. मेनका, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
47. बबीता देवी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
48. बसंती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
49. मनीषा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
50. ज्योति, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
51. रश्मि, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
52. सीमा, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
53. सुषमा, तराईमाल– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
54. कुवंरमति, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
55. सुरेखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

56. पार्वती, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
57. चमेली, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
58. सुशीला – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
59. नीलम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
60. मंजु पटेल, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
61. हरिप्रसाद, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
62. दयाराम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
63. शिवा, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
64. राजकिशोर, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
65. बबलु, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
66. पुरूषोत्तम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
67. देवकुमार – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
68. खगेश्वर – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
69. गोपाल, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
70. संतकुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
71. चन्द्रभान, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
72. भजन लकड़ा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
73. सीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
74. अंजनी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
75. तारीका तरंगिनी लकड़ा, पूजीपथरा, सामारूमा – आज दिनांक 07.04.2021 को मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ की स्थापना के लिये आयोजित फर्जी लोक सुनवाई रद्द करने बाबत्। मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम–पाली, ग्रामपंचायत–देलारी, तहसील–रायगढ़, जिला–रायगढ़ के लिये आज जो लोकसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है इसकी पूरी प्रक्रिया फर्जी की जा रही है। उक्त परियोजना से संबंधित जानकारी किसी भी प्रभावित ग्रामवासियों को नहीं है। लोक सुनवाई का आयोजन भी संबंधित पंचायत या ग्राम में किया जाना चाहिए। मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज की मांग प्रभावित क्षेत्र के किसी भी पंचायत या ग्रामसभा ने नहीं की है। एक उद्योगपति के प्रस्ताव से अनुसूचित पंचायत में ग्रामवासियों की मांग के बिना उक्त परियोजना को पर्यावरण प्रदूषण की स्वीकृति देना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आज मेसर्स अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति देने के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश के लोगों को तथा संबंधित प्रभावित पंचायतों से बाहर के लोगों को यहॉ का स्थानीय निवासी बताकर समर्थन कराया जा रहा है। आपके द्वारा स्थानीय होने का कोई पहचान पत्र इन समर्थकों से नहीं पूछा जा रहा है। विरोध करने आने वाले स्थानीय लोगों को यहां डराया–धमकाया और दुरव्यवहार किया जा रहा है। हमारा क्षेत्र पहले ही प्रदूषण की वजह से विश्व के सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल है। यहॉ प्रदूषण की वजह से

कई लोगों की मौत हो चुकी है लोग गंभीर बीमारियों के शिकार है। स्वच्छ जल, पीने के लिये भी अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खेती प्रदूषण की वजह से नहीं हो पा रही है। तालाब, डेम, नदियॉ सभी प्रदूषित हो चुके है। सड़कों पर सुरक्षित चलना मुश्किल हो गया है। रायगढ़ तक जाने पर व्यक्ति डस्ट से पहचान में नहीं आते है। घरों में डस्ट की परत जम रही है। पेड़ों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण मण्डल छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ की जनता ने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के विपरित पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति दिलाने आये है। विरोध करने पर आप पुलिस बल का प्रयोग करेंगे, मुझे घसीट कर पुलिस से पिटवा कर इस पंडाल से बाहर करेंगे। इसका मतलब आपने पहले ही अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज के साथ हमारी जिंदगी का सौदा किया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है हमें पर्यावरण की सही रिपोर्ट बताऍ। हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े–लिखे नहीं है उन्हें ग्रामसभा लगाकर, सरल भाषा में बताना ये आपका फर्ज था। आपने ऐसा नहीं किया। दिनांक 05.04.2021 को मुझे मालुम हुआ की आज दिनांक 07.04.2021 को बंजारी मंदिर प्रांगण में कोई लोक सुनवाई का आयोजन पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति के लिये किया गया है। दिनांक 05.04.2021 को ही मैने आपके कार्यालय में आवेदन दिया है कि उक्त लोकसुनवाई से संबंधित जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए। आपके कार्यालय से ना तो जानकारी मिली है ना ही कोई और अवाब मुझे दिया गया है। मैं संबंधित प्रभावित पंचायत से हूँ, मेरा अधिकार है कि आप मुझे जानकारी उपलब्ध कराऍ। मेरे मांगने पर भी मुझे जानकारी नहीं दी गई है। आपके द्वारा जिन पंचायतों में ई.आई.ए. रिपोर्ट दी गई है उन पंचायतों के सरपंच भी उसे समझने में सक्षम नहीं है। ना ही वे ये जानते है कि इस रिपोर्ट का करना क्या है? आपने कभी भी इसके संबंध में पंचायतों के सरपंच, सचिवों को कोई दिशा निर्देश दिया ही नहीं है, ना ही ग्रामसभा के लिए निर्देश दिये है। ये सीजन वनीय फसलों का है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से इस वर्ष महुआ, चार की फसल का लाभ ग्रामीणों को जो मिलता था वो नहीं मिला। क्या अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज इसकी भरपाई करेगा? मैं प्रभावित पंचायत की निवासी हूँ। उक्त परियोजना से मुझे मेरे परिवार को मेरे गांव को जो प्रदूषण सहना होगा इससे हमारे बच्चे, जवान, बुढ़े बीमार होंगे, मरेंगे, मवेशी मरेंगे इसकी भरपाई आपने करवाई है क्या? यदि करवाई है तो हमसे छुपाया क्यों है हमें बताईये इसका मुआवजा आपने कितना तय किया है? हमें हमारा मुआवजा पहले दिलाईये। प्रत्येक घर, वार्ड तक यह मुआवजा पहुचाना चाहिए। आपने हमारी जिंदगी का सौदा करने के लिये इस लोकसुनवाई में बाहरी व्यक्तियों को भाड़े में लाकर समर्थन करवाने की खुली छुट इस उद्योग मालिक को दी है। जो चाय–नाश्ता, 100–200 रूपये इनसे लेकर यहां सिर्फ समर्थन है कहकर चले जाते है। कुछ कहते हैं हमें रोजगार मिल रहा है इसलिये समर्थन करते है। क्या यह लोक सुनवाई रोजगार दिलाने के लिये रखी गई है? यह पूरी लोक सुनवाई फर्जी है। यहॉ आने वाले समर्थक फर्जी है। आपके द्व्रारा की गई प्रक्रिया फर्जी है। बंजारी मॉ के प्रांगण में लोक सुनवाई का आयोजन कराना नियम के विरूद्ध है और फर्जी है। सामारूमा में फर्जी सरपंच बनवा कर उसके माध्यम से फर्जी समर्थकों को लाकर लोक सुनवाई को सफल बनाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आप कोई महत्त्व नहीं देते हैं। अतः इस फर्जी लोक सुनवाई को रद्द करने की मांग मैं तारिका तरंगनी संघर्ष के माध्यम से करती हूँ।

76. राजेश, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
77. बोलप्रसाद, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
78. लाभोराम, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
79. जय, पूजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
80. राजेश कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
81. विष्म, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
82. अतित बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
83. मंजु, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
84. आशा, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
85. प्रमा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
86. अंजु, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
87. बबीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
88. रीतादेवी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
89. सीता, तराईमाल –
90. पुनम, तराईमाल –
91. सजन, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
92. कौशल्या, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
93. बंसती, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
94. निर्मल, तराईमाल– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
95. सुभाषिनी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
96. नरेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
97. श्रवण, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
98. कृष्णा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
99. हेमप्रसाद, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
100. राजकुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
101. अजय कुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
102. बलराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
103. ललित, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
104. गौरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
105. मंगा, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
106. सुरेश, आमाघाट – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
107. अनिल, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
108. तनुराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

109. राजवंती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
110. चन्द्रमणी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
111. फुलेश्वरी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
112. बबीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
113. संगीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
114. कोईमा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
115. मीरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
116. कविता नाईडू, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
117. रामेश्वरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
118. सोनु, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
119. सुनीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
120. चांद, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
121. रूकमणी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
122. बिन्दु देवी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
123. अनिमा चौहान, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
124. प्रमिला, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
125. बई, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
126. कौशल्या, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
127. सुंगी अजय, पूंजीपथरा 7 मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
128. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
129. संजय बससंत – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
130. पद्मा, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
131. पार्वती, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
132. दुधवती, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
133. अनिता, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
134. आरती , पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
135. पुष्पा, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
136. खिरोधर, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
137. अलेख, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
138. राजकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
139. परसराम, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
140. केदारनाथ, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
141. राधे, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

142. लखी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
143. रोहित कुमार, जमडभरी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
144. दिलीप कुमार, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
145. कौशल चौहान – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
146. राजु, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
147. लता, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
148. विनय, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
149. महेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
150. सीमा, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
151. कंचन, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
152. सुरेखाबाई, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
153. अंजु, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
154. संकुतला यादव, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
155. पुनीमति, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
156. सोनकुवंर, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
157. सोहद्रा चौहान – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
158. सुकमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
159. लालमति, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
160. जाममति, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
161. रमा, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
162. गुरबारी, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
163. अंकिता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
164. सुमन, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
165. रश्मि यादव, पूजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
166. सनिरो, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
167. प्रमिला, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
168. जानकी, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
169. गुरवारी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
170. अंजनी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
171. गुरवारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
172. लक्ष्मीन, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
173. विमला, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
174. प्रशांत, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

175. रामनाथ, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
176. रामलाल, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
177. रूपेश यादव - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
178. अनिल कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
179. किरण साय, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
180. फुलकुमार– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
181. पंचराम, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
182. टीकाराम, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
183. खिरोद, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
184. सरोज कुमार, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
185. प्रतिमा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
186. अंजली, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
187. लक्ष्मी, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
188. संगीता, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
189. सादमति, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
190. राजु, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
191. गणेशराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
192. प्रदीप, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
193. कुंती साहू, तराईमाल 7 मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
194. कुंती साहू, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
195. मोधोबाई, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
196. बबीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
197. सुनाई, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
198. सावित्री, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
199. पुजा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
200. सुमित्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
201. वृदावति, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
202. सहोद्रा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
203. आशा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
204. फुलवंतीदेवी, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
205. दुर्गा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
206. रोताईन, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
207. मीना, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

208. गुलाबी, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
209. भगवानो, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
210. टारसी, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
211. किरीतराम, लाखा – मेरार्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
212. ललित, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
213. राठिया – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
214. अजय, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
215. संजय, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
216. श्याम कुमार, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
217. करमसाय – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
218. दयाराम, लाखा –
219. पदुम सिदार – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
220. गणेश, लाखा –
221. सुरेन्द्र, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
222. पंचराम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
223. मिलि उरांव, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
224. तिहारीन, गेरवानी – मेरार्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
225. सविता, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
226. संचिता, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
227. सुकमा, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
228. रोशनी, गेरवानी – मेरार्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
229. सुमन, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
230. संजय, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
231. सुमति राठिया, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
232. बबीता, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
233. रमताल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
234. सुकाति तिर्की, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
235. राजकुमारी , गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
236. राजकुमारी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
237. गायत्री, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
238. विद्या, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
239. पुनीमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
240. मनकुवंर, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

241. ठाकुरमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
242. दुलारमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
243. फुलकुंवर, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
244. ललमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
245. सुमति कवंर, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
246. जुली, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
247. देवमति, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
248. प्रियंका – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
249. चउत्रा, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
250. गुरवारी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
251. मंगली, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
252. पिंकी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
253. राजकुमारी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
254. सावित्री, तराइमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
255. श्याम कुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
256. गणेशदेव – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
257. उचितराम, सामारूम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
258. दानी साहू, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
259. बृद्धिराम, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
260. नमन, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
261. देवराज – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
262. अजय कुमार, सामासरूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
263. अमित कुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
264. अमर सिंह, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
265. देव बैरागी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
266. देवेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
267. सरिता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
268. सरस्वती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
269. सुनीता लकड़ा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
270. रेखा सिदार – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
271. शीतल भारती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
272. पूर्णिमा, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
273. सुनिता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

274. कर्मावती, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
275. भावना यादव – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
276. भगवती– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
277. सवित्री, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
278. केकती चौहान, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
279. राजकुमारी, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
280. मुनी सिदार, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
281. गुलापी, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
282. सविता, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
283. गीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
284. सोनमति, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
285. पुतरू, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
286. मीना, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
287. निशा, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
288. ललिता कवंर, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
289. सोनुबई, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
290. मांगमति, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
291. धनमति, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
292. सुमित्रा, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
293. धनमेत चौहान, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
294. लीलावति, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
295. सुमन यादव, तराईमाल– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
296. प्यारीबाई, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
297. नरयरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
298. उषाबाई, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
299. लक्ष्मीप्रसाद, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
300. सनत कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
301. अभय, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
302. मोहन यादव, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
303. रोहित पटेल, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
304. लक्ष्मी, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
305. सरद, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
306. भुखन्दर, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

307. राजेश, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
308. राज, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
309. योगेश, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
310. भुनेश्वर, सागारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
311. दिपीका, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
312. बबली, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
313. जया खुंटे, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
314. संतोषी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
315. सरिता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
316. बबीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
317. भगवती, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
318. किरण, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
319. सादमति, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
320. मांगमति, पूंजीपथरा –
321. रानी चौहान – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
322. सरोजनी, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
323. रजनी साहू, - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
324. श्यामबाई, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
325. मन्नत, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
326. संजना, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
327. अनिता, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
328. सुकमनी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
329. मलंग, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
330. फुलबाई, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
331. रजनी, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
332. कोमल, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
333. मदन, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
334. मुकेश कुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
335. समय सिदार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
336. सरघु टोप्पो, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
337. प्रदीप, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
338. मंगलेश्वर, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
339. दिनबंधु, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

340. भुपेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
341. संजय, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
342. तरूण, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
343. नरसिंह, सिंह, तराईमाल – विरोध।
344. विवके कुमार, – विरोध।
345. जय – विरोध।
346. फिरत राम, तराईमाल – विरोध।
347. छोटुरो, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
348. सुरेश साय, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
349. रात्रेलाल, तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
350. प्रभात, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
351. केशव, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
352. दयानंद सिदार – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
353. गुरवारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
354. भावना, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
355. लेला, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
356. मरीना यादव – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
357. मीना, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
358. गौरी यादव – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
359. जमुना, पूंजीपथरा –
360. शांति, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
361. जयंती, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
362. सोनकुवंर, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
363. ललिता, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
364. भोजकुवंर – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
365. बबीता, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
366. प्रतीमा, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
367. सद्भावना, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
368. सविता, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
369. जमुना – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
370. तमनी, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
371. सुलोचना – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
372. चम्पा, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

373. सुकमति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
374. सोनाबाई, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
375. फकेरीबाई, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
376. मनकुवंर, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
377. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
378. लता, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
379. समारीन, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
380. झाडुराम, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
381. मेहितदास, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
382. परदेशी, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
383. लखन, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
384. सुकदेव, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
385. गुलाब सिंह, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
386. संतोष कुमार, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
387. विनोद कुमार, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
388. भेशमति, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
389. शांति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
390. गंगाबाई, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
391. ममता, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
392. कल्पना, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
393. सुमित्रा, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
394. नानकुन, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
395. रामवती, गेरवारनी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
396. भारती – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
397. पूजा, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
398. फुलवती, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
399. यादव , गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
400. रोहित, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
401. लालकुमार, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
402. शोभित, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
403. वेदराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
404. खुटे, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
405. नेतराम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

406. गजपति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
407. देवेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
408. ओमप्रकाश, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
409. डोरीलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
410. राजेन्द्र कुमार, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
411. सोनु, तराईमाल – विरोध।
412. संजीत सिदार, तराईमाल – विरोध।
413. ओमप्रकाश – विरोध।
414. अवधेश, तराईमाल – विरोध्सा।
415. संजय – विरोध।
416. डोरीलाल – विरोध।
417. जय–विरोध।
418. विवके, तराईमाल – विरोध।
419. बिरजु, – विरोध।
420. शंकर, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
421. स्वराज, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
422. रवि, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
423. रवि, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
424. सुरेन्द्र, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
425. राजेश, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
426. समय, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
427. सागर, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
428. गौरीशंकर, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
429. फुलेश्वर, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
430. अमृतलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
431. बुद्धु, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
432. माधुरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
433. गौरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
434. रजनी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
435. यशोदा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
436. म्हबुब – पानी का सुविधा करवाते है। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
437. नेत्रानन्द,देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
438. रामसाय डनसेना – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

439. पितरू, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

440. श्रीलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

441. शेषदेव, गेरवानी– मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

442. फुलेश्वर साहु, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

443. मुकेश, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

444. विजय कुमार, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

445. चवंर सिंह, गेरवानी – इस क्षेत्र में बहुत उद्योग है, लेकिन इस क्षेत्र के स्थानीय लोगो को रोजगार नहीं मिलता है। प्रदूषण बहुत होता जिसका कोई रोकथाम नहीं है। सड़क दुर्घटना बहुत होती है उसके लिये कोई उचित कदम उठाये। सभी को रोजगार उपलब्ध कराये। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

446. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

447. गोपी प्रधान, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

448. कन्हैया, पंच तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

449. खीरसागर – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

450. दीपक शर्मा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

451. भुपेन्द्र कुमार मालाकार, तराईमाल – पानी छिड़काव नहीं कराते प्लांट वाले, बहुत प्रदूषण है सड़क में उसका कोई रोकथाम नहीं है। यहां हॉस्पीटल नहीं है। मैं विरोध करता हूँ।

452. अंकुर गोटिया, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ। पहले यहां सब भुखे मरते थे आज सब सम्पन्न है। यहां किसी की शादी होया या मृत्यु को चंदा एक्कठ्ठा करके सहमति प्रदान करते है।

453. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ – इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जो ई.आई.ए. ड्राफ्ट है और इस कोरोना काल में जहा जिला प्रशासन धारा 144 लगा रखी है उस स्थिति में लोगो के जीवन के साथ खिलवाड़ खास कर जनता से भी ज्यादा आपके खुद के प्रशासनिक अधिकारियो के जीवन के साथ खिलवाड़ करना इस जनसुनवाई को करवाना वास्तव में किस हद तक खतरनाक है और किस हद तक आप मजबुर करते है पुलिस प्रशासन को यहा पसर काम करने के लिये और जिस तरीके के हालात है उससे सीधे देखा जा रहा है मेरे पीछे जो पंडाल है, उस पंडाल के पीछे जित तरीके के हालात है। चुंकि यहा अनुसुचि पेशा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है फिर भी जिला प्रशासन से ज्यादा जो समुदाय है वो ज्यादा सतर्क है, सुरक्षित है इस वैश्विक महामारी के हालात पे जनसुनवाई करवाना। और हमारे बहुत सारे युवा साथी है अलग–अलग कामों में इस जनसुनवाई को सीधे–सीधे संपन्न करवाने के लिये और उनके द्वारा जिस तरीके से यहा व्यवस्था में लगे हुये है कही ना कही हम उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है और इसमें जो महिलाये लगी हुई है पुलिस प्रशासन हो चाले अन्य कामों में जनसुनवाई को शांतिपूर्ण अच्छे से संपन्न करवाने के लिये उन महिलाओं के सेहत के उपर बात आती है फिल भी आपलोगो ने जनसुनवाई करवाया है तो मैं बरलिया की रहने वाली हूँ और सीधे प्रभावित हूँ इसलिये ये बात रख रही हूँ। आज की जनसुनवाई इस मेसर्स अग्रोहा

आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम–पाली में जो स्थापित होने वाला है इसकी लोगो से चर्चा के दौरान आया है। हमने ई.आई.ए. की समरी ही लिया है ये समरी जिस आधार पर बना है यह अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज का बनाने वाले, एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का बनाने वाले, एन.आर. फेरो का बनाने वाले और माँ शिवा जो आज कल एनॉकान लेबोरेटरी, नागपुर के साथ मिल कर काम कर रहा है, इसके साथ बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड और इस तरीके के मेरे पास 5–7 और है। इस मेसर्स अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज की जनसुनवाई आज दिनांक 07.04.2021 को बंजारी, तराईमाल में आयोजित इस जनसुनवाई को महामारी के कारण तत्काल निरस्त करके पुनः कमियों को दुर करके इसे आयोजित कराया जाये। मेरा पहला आपत्ति है जहा एक तरफ धारा 144 लगी हुई है जहा पर सादी में 50 और मौत में 20 लोगो की बात कर रहे है और पुरे छत्तीसगढ़ में देखा जाये तो 10000 से ज्यादा आंकड़े है, शमशान घाट कम पड़ जा रहा है तो इस जनसुनवाई को करवाने का क्या औचित्य रह जाता है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है कि लोग रहेंगे, गांव रहेगा तो आप और हम सब विकास कर लेंगे और इस एक विकास के लिये बाकी लोगो का विनाश करने आप किस हद तक तुले हुये है। आप राज्य शासन, केन्द्र शासन को लिख कर नहीं दिया कि इस महामारी काल में यह पेशा क्षेत्र और पेशा क्षेत्र में ग्रामसभा महत्वपूर्ण है। आपने ग्रामसभा से अनुमति लिया है क्या जनसुनवाई करवाने के लिये, पंडाल लगाने के लिये, पुलिस फोर्स बुलाने के लिये ऐसे कोई पेपर है क्या आपके पास अगर नहीं है तो आपको भी अधिकार नहीं है कि अनुसुचि पेशा क्षेत्र में जिला प्रशासन या राज्य शासन का अधिकार ही नहीं है कि बिना ग्रामसभा के अनुमति के आयोजन करना। यह आप लोग औद्योगिक घराने को खुश करने के लिये यह जन सुनवाई आप करा रहे है। उसे निरस्त करें और महामारी काल समाप्त होने के पश्चात् इसे आयोजित करें। आप कितने लोगो तक ई.आई.ए. रिपोर्ट लेकर गये इस बात का रिजल्ट मेरे पीछे है। 10 किलोमीटर के रेडियस को भी देखे तो 10 किसम के लोग भी यहा नहीं है तो किसके लिये जनसुनवाई है। किसी भी शरकारी आयोजन के लिये 70 प्रतिशत् संख्या होना चाहिए और किसी भी गैर सरकारी के लिये 80 प्रतिशत संख्या है। 80 प्रतिशत प्रभावित लोगो को आपको लाना था और उसमें 33 प्रतिशत् हिस्सेदारी महिलाओं की लागु होना था। यह जनसुनवाई इनवायरमेंट इंपेक्ट असिसमेंट की जनसुनवाई है, ई.आई.ए. पर कितनी समझ है लोगो की और इसको बनने के लिये हमे किस तरीके से एस.आई.ए. बनाना था उसकी प्रक्रिया क्या थी, कहा है वो कमेटी जिसको सामाजिक प्रभाव आंकलन 10 गांव का करना था। इसके बात ही ई.आई.ए. बनाने की अनुमति मिलना था। हमारे समाज में किसी भी कंपनी को अगर गैर कृषि है, गैर वाणिज्यिक है, गैर आदिवासी परम्परा से बना चिज है तो एन चिजो को मुल रूप से जीवन को प्रभावित कितना कर रहा है, उनके आजीविका का मामला है, उनके अन्य जो पारंपरिक मसले है, उन मसलों को कैसे ठीक किया जायेगा, कैसे उनके देव स्थल बचाये जायेंगे वो एस.आई.ए. पहले निकालिये वो एस.आई.ए. कहा बना है वो एस.आई.ए. बनाने वाली कमेटी कहा है, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में कंपनी का क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप फर्नेस ऑयल, प्रोड्यूसर गैस तथा कोल गैसीफायर जिसकी क्षमता 7000 प्रति सामान्य घनमीटर रफ्तार से आप इसकी स्थापना कर रहे है, पर्यावरणीय स्वीकृति चाह रहे है कहा है वो गर्भवती महिलाओं का सलाह, क्या आपको उन्होने ग्रामसभा से अनुमति दिया, क्या उन्होने अपना राय लिखित रूप में रखा, नहीं रखा तो किस बात

की जनसुनवाई। आप जिला प्रशासन और कंपनी मिल कर सरफेयस राईट बना ले क्यो जनसुनवाई कराने की क्या जरूरत। आपको अधिकार नहीं है किसी के साथ जीवन का खिलवाड़ करने का आप 5 बजे तक जनसुनवाई करवायेंगे 6 बजे के बाद इनकी सेहत का जिम्मेदार कौन होगा। और कितनी जनसुनवाईयां आप लोगो के द्वारा होनी है यह हैरान करने वाली बात है। पाली गांव का जी.पी.एस. में देखिये पाली गांव रायगढ़ विकासखण्ड में आता है और आज जहा जनसुनवाई करा रहे है वह तमनार विकासखण्ड में आता है, पाली गांव गैर पेशा एक्ट क्षेत्र में आता है और यह जो है यहा पेशा कानुन लागु होता है। आपके खिलाफ एस.टी.एस.सी. का अपराध कायम होना चाहिये कि आब जबरन इस कोराना काल में यहा बीमारी थोप रहे है उनके बिना अनुमति के आपको अधिकार नहीं है इतने बड़े आयोजन कराने का, हम तो आपके कलेक्ट्रेड जाकर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करवा रहे है। अगर जिस दिन हम ऐसा कर दे कलेक्ट्रेड के पास लोगो की सहन सीमा खतम हो रही है अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को कलेक्ट्रेड मे जाकर करें तो सोभा नहीं देता। पाली गांव का एस.डी.एम. रायगढ़ का जहा जनसुनवाई करवा रहे है वहा घरघोड़ा के एस.डी.एम. है तमनार विकासखण्ड के तहसीलदार है। यहा कौन से डॉक्टर है जिनके द्वारा लोगो का हेल्थ चेकअप करने के बाद यहा आने दिया जा रहा है या फिर सामाजिक कार्यक्रम सादी, विवाह आदि की अनुमति दे दीजिये। साले नियम कानुन जनता, समुदाय करे। इस मेसर्स अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज का विवाद कौन सुलझायेगा रायगढ़ एस.डी.एम. करेंगे या घरघोड़ा एस.डी.एम. करेंगे। इस कोरोना महामारी में जो आप जनुसनवाई करा रहे है इसको तत्काल निरस्त करें अच्छा है कि यहा भीड़ बहुत कम है यहा जितने भी है उन सबका आप कोरोना जॉच करवाईये हो सकता है आपके अंदर वो वायरस हो हो सकता है मेरे अंदर वो वायरस हो मैं बिना मेडिकल टेस्ट कराये आई हूँ और भी बिना मेडिकल टेस्ट कराये आये है। इसके बाद ही कोई बिन्दु पे बात रखेंगे। केन्द्रीय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत् किसी कंपनी के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के अन्दर राज्य शासन के द्वारा ही कराया जाना है। आप जो ई.आई.ए. की जनसुनवाई जान पर खेल कर कर रहे है ऐसा लग रहा है कि आप बाघा बाडर में है या चाईना बाडर में है इस तरह से आप अपने जान को खेल रहे है इस जनसुनवाई में। यह जो आवेदन आया है वह 1 वर्ष पुराना है, आपका कानुन कहता है 45 दिन तो इस जनसुनवाई को आपको आयोजित कराने का कोई औचित्य ही नहीं रहा जाता है। उस स्थिति में यह जनसुनवाई केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन करेगा वह आकर इस जनसुनवाई को आयोजित करायेगी ना कि आप करायेंगे और आप बैठे है जनसुनवाई करवाने के लिये अगर हम आपत्ति भी करेंगे तो इसका जवाब कौन देगा इनके आवेदन को 1 वर्ष हो चुका है क्या आप सक्षम अधिकारी है। प्रभावित लोगो का राय आया क्या लिखित या मौखिक, विरोध कर रहे है तो किस बात की विरोध हो रही है क्या उनको पता है कि यह उद्योग लगना है यह ई.आई.ए. पर बात हो रही है। इसमें न तो आपको अधिकार है आपको जनसुनवाई कराने का ना ही प्रभावित क्षेत्र के लोग आये है यहां अपनी बात रखने। 10 किलोमीटर की परिधि में 56 गांव प्रभावित होते है यहां तो 56 लोग ही नहीं है, तो काहे इतने बड़े आयोजन को करा रहे है आप लोग आपस में उद्योग को कलेक्ट्रेड में बुला लीजिये और कर लीजिये। यहा एक भी महिला नहीं है और है भी तो वो प्रशासनिक अधिकारी है। पाली का जनसुनवाई पाली में क्यो नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र के 10 गांव

को सामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, वहा का 18 नाला क्यो शामिल नहीं है इसमें, वहा के फ्लाई ऐश का मामला क्यों नहीं है। जिस दिन जनसुनवाई होती है उस दिन उद्योगो द्वारा ई.एस.पी. को चालु कर दिया जाता है। अभी आप मेरे साथ चलिये आपको मैं बिना ई.एस.पी. चले 10 उद्योग दिखा दूंगी वे समझ गये है जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली को पुरा तराईमाल क्षेत्र में कोयला का धुआं चल रहा है। गेरवानी से लाखा, पूंजीपथरा में कहीं भी ई.एस.पी. नहीं चल रहा है। प्रदूषण ही प्रदूषण है। 56 गांव में कही भी हिन्दी या अंग्रेजी का ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं चस्पा कराया गया है। लोगो को ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले ने एन. आर. टी.एम.टी. एवं एन.आर. फेरो एलायज, मां शिवा कंपनी, बी.एस.स्पंज प्रा. लिमिटेड के रिर्पोट को जोड़-तोड़ के कापी पेस्ट करके यह ई.आई.ए. रिपोर्ट का बनाया गया है। हाथी, गिलहरी, चितल, किट-पतंगे आदि के बारे में इस ई.आई.ए. में दर्शित नही है। यहां 40 से ज्यादा प्राईमरी स्कूल है, इंजीयरिंग कॉलेज का डेटा, यहां के बच्चो का डेटा इसमें दर्ज नहीं है। यहां के स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट इस सुनवाई में प्रस्तुत करना था लेकिन नहीं किया गया है। यहां से 02 कि.मी. में गोदगोदा, पड़कीपहरी सी.एफ.आर. का वन क्षेत्र है। आप किस आधार पर जनसुनवाई करा रहे है। पेशा कानुन, महिला हिंसा, फारेस्ट कानुन, 1976 वन पशु की धारा आप पर लगेगा। हाथियों के द्वारा नुकसान हेतु 40 लाख का कारीडोर बनाया गया है। यह जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। यहां आंगनबाडियों के 3-6 वर्ष के बच्चों के सेहत से भी खिलवाड किया जा रहा है। यहां 40 आंगनबाडिया है जिसे ई.आई.ए. में छिपा दिया गया है। इस क्षेत्र में सिलिकोशिश के साथ चर्म रोग, दमा रोग आदि है। यहां से जांच के लिये कितने जगहो से मिट्टी, जल के नमुने लिया गया है। यहां पास में केलो नदी है जिसमें फ्लाई एश डाला जा रहा है। यहां जितने भी स्तनधारी जीव है जिनके जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे है। यहां के सब्जीयों की स्थिति में बहुत गिरावट हो गई है। यहां औद्योगिक पार्क में उद्योग अपनी मनमानी कर रहे है। यहां सिलिकोशिश का बीमारी फैलते जा रहा है। ई.आई.ए. बनाने वाले भी उद्योगो से धोखा कर रहे है। केलो बांध से किसानों को पानी दिया जायेगा बोला गया, लेकिन यह पानी निको देंगें वहां तक का जमीन बंजर हो जायेगा। केलो नदी के पानी से कई बीमारियो जैसे कैंसर हो रहा है। यहां अलग-अलग राज्यो से आकर काम कर रहे है। सी.एस.आर. करेगें, रोजगार देंगें, लेकिन महिलाओं के लिये क्या करेंगें। आज उनसे उनका जल जंगल से चार, तेन्दु पत्ता भी खतम हो गया। यहां के जंगली जीव धीरे-धीरे महासमुन्द से होकर गरियाबंद में चले गये है। यहां आपने कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग को किसी कंपनी से चालु नहीं किया तो क्या विकास और किसका विकास हो रहा है। यहां के स्थानीय लोगो का पैसा क्यो खत्म कर रहे है। यहां के लोगो के पास जाकर क्या आपने ई.आई.ए. के बारे किसी को बताया ही नही तो किस बात की जनसुनवाई। यहां के कृषि, वनोपज संग्रहण, वनो से जीने वाले वन निवासी द्वारा मुझे भेजा गया है जिसमें जनसुनवाई निरस्त करने की मांग है।

454. प्रकाश त्रिपाठी, सर्वोदय विकास समिति, रायगढ़ – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का पूर्ण विरोध करता हूँ। यहां उद्योग अति से अति ज्याद हो गये है। भारत में सबसे खतरनाक प्रदूषण की स्थिति का सामना रायगढ़ कर रहा है। शिक्षा के स्तर यहां बहुत नीचे है, यहां शोषण करते आ रहे है। इस क्षेत्र में जो उद्योग लग रहे है जिससे अत्यन्त विनाशकारी स्थिति हो गई है। यहां का सर्वे करा के देख लीजीए

जिसमें मानव में बांझपन की स्थिति आ गई है। 40–45 के उपर के लोग आज काम नहीं कर पा रहे है क्योकि उनके जहर युक्त हवा/पानी मिल रहा है। पहले के 90 वर्षीय लोग खेती करते थे। यहां जंगल समाप्त हो रहे है जंगल से ही तो ऑक्सीजन मिलता है। बस्तर में जााकर उद्योग स्थापित करें। यहां खेती करके लोग अच्छी तरह से जी रहे थें। यहां उद्योग 01 का विकास के लि 01 लाख का विनाश कर रही है। इस क्षेत्र में 50 कि.मी. के परिधि में कोई भी जंगली जानवर नहीं है सबका विनाश हो चुका है कुछ समय बाद मनुष्य भी गायब हो जायेगा। हमारे यहां की वन औषोधिया जैसे हर्रा बेहरा, आदि सब समाप्त हो गया है। इस क्षेत्र में सिर्फ काला धुआ दिखता है। यहां सर्वे करा लिया जाये प्रत्येक गांव में 60 प्रतिशत् लोग किसी न किसी बिमारी से ग्रसित है। यहा वन जमीन, निजी जमीन शासकीय जमीन सबको यहां उद्योगो कके द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस क्षेत्र में पहले बहला जमीन होती थी लेकिन आज रायगढ़ जिले में 01 प्रतिशत् बहला जमीन नहीं है। इन उद्योगो के चलते सामाजिक संतुलन बिगड़ चुका है। इस क्षेत्र में रायगढ़ जिले का प्रथम स्थान सब्जी के लिये माना जाता था, लेकिन आज कही थोड़ा सब्जी भाजी लगा ले तो वो खाने लायक नहीं होता। यहां पहले 12 महिने खेती होता था वो नस्ट हो गया हैं। क्षेत्रीय मजदूरों का शोषण किया जाता है, मानव को कही भी 12 घंटा काम के लिये नियम है लेकिन यहां कराया जाता है है और कोई बोले तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहां पूंजीपथरा से रायगढ़ के बीच में हर दिन 2–3 लोग दुर्घटना से हाथ धो बैठते है। ऐसे उद्योग के मालिको को फांसी की सदा दी जाये। यहां के लोग दोना, पत्तल, बहरी, चटाई बनाकर अपना जीवन–यापन करते थे, लेकिन अब तो कच्चा माल ही नहीं है तो क्या बनायेगें। इन उद्योगों के चलते ही नशाखोरी बढ़ गया। सामाजिक अपराध भी बढ़ गया। कुछ लोगो के पास अनाब–सनाब पैसा आने के कारण जुआखोरी में चला जा रहा है। यहां एक छोटा सा मार–पीट हो जाता है तो टी.आई. साहब बोलते है की यह मेरा क्षेत्र का नहीं है, तो क्या यह जनसुनवाई रायगढ़ क्षेत्र का है तो तमनार में क्यो किया जा रहा है। उद्योग से होने वाले लाभ और हानी को संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाये तो ये दशा नहीं होगा। इस जन सुनवाई को निरस्त करें। इस महामारी काल में क्या जन सुनवाई कराना जरूरी था क्या।

455. गुलामन चौहान, सामारूमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

456. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – सबसे पहले बीजापुर में शहिद नवजवानों को नमन करता हूँ। आज की जनसुनवाई में 2 तरीके के मुद्दे है एक तो कानुन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय सविधान के मुताबिक आज की जनसुनवाई में आर्टिकल 21 का सीधा–सीधा उल्लघंन है। विगत् 10 दिनों से फैलाया जा रहा है कि कोराना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रायगढ़ जिले में विगत 15 दिनों से धारा 144 लगाया गया है उन परिस्थितियों में भी जनसुनवाई का आयोजन करवाना ये कहा उचित है और हमारी कौन सी प्रशासनिक मजबुरी है। क्या जो आज की जनसुनवाई में जो हिस्सेदारी किये वो अगर कोरोना पाजिटिव हो जाते है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी लेंगे या कलेक्टर साहब लेंगे कि पर्यावरण अधिकारी लेंगे। कौन लेगा जिम्मेदारी। जिसके तहत 302 के तहत एक तरीके से मारने का मामला पंजीबद्ध हो सकता है और ऐसी कौन सी प्रशासनिक मजबुरी है। जिनकी एक हफ्ते पहले या एक महिने पहले जनसुनवाई हुई है उनका उद्योग स्थापित हो चुका है, जिनका कुछ 10 दिन पहले जनसुनवाई हुई है

बिना पर्यावरणीय स्वीकृति मिले उनका आधा उद्योग खड़ा हो चुका है आप देख सकते है, हम तो देख ही रहे है तो कैसे मास्क लगाईये, दो गज की दूरी बनाईये मुझे लगता है कि यह एक प्रायोजिक प्रक्रिया है।। पिछले साल कोरोना आया तो आप हाथ को सेनेटराईज कर लीजिये और हो सके तो पेट को भी कर लीजिये कोरोना नहीं होगा पुरे देश में शराब की बिक्री दस गुना ज्यादा बढ़ गई तो सरकार की क्या ये योजना थी। इस साल जो कोरोना की दवाईयां बनी उन दवाइयों में सीधे जो प्रयोग की प्रक्रिया है वो सीधे इंसान पर की गई जो हिन्दंसतान के अंदर 10 करोड़ लोगो को कोरोना के टीके लग जायेंगे उन दवाईयों को हम पुरी दुनिया में बेचेंगे और अच्छी खासी आय हमे प्राप्त होगी और एक तरफ आप यह कह रहे है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहा–जहां कोरोना फैल रहा है और कोरोना भी कितना सम्मानजनक फैल रहा है। और आज क्या है कोरोना की स्थिति घर से कोई नहीं निकलेगा, कोरंटाईन में पुरा परिवार कहीं नहीं निकलेगा। अगर कोई कोरंटाईन है और अगर घुमते पाया गया तो अपराधिक मामले दर्ज होंगे और 10 हजार रूपये का उसके उपर जुर्माना लगाया जायेगा ये हमारे जिला कलेक्टर साहब का आदेश है और एक तरफ आप कह रहे है है आईये और जनसुनवाई में बात करीये। ऐसे कौन सी मजबूरी है कि आज ही जनसुनवाई हो चार महिने बाद भी तो हो सकती है। और आदेश यह भी निकाल देना चाहिये कि जिन उद्योगों की ई.आई.ए. पर्यावरण विभाग में जमा हो गई है वो अपना उद्योग स्थापित कर ले, परमिशन तो मिलनी ही है और जब कोरोना काल खतम हो जायेगा तो उनकी जनसुनवाई की जो प्रक्रिया है, जनसुनवाई का जो तमाशा है उसको हम पुरा कर लेंगे इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय को भेज देंगे और जनसुनवाई की प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। एक तरफ पुरे जिले में कोरोना फैला है, अलग–अलग हमारे पुलिस के नौजवान साथी वो हमारे ही लोग है किसी उद्योगपति का बेटा या मंत्री का बेटा फौज में नहीं होता है। ये जो सेना में है वो किसी मजदुर औश्र किसान के बेटे है और उनके अंदर परिवार है, अगर कोई कोरोना पाजिटिव होगा तो सरकार के अंदर एक प्रक्रिया है। मैने अभी समाचार मे पड़ा की नक्सलियों को सामान पहुचाने वाला कोई नहीं बल्कि पूर्व विधायक का भाई नक्सलियों को सामान पहुचा रहा था। हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी कि 10 सालो से जो नक्सलियों को सामान पहुचा रहा है वो आज तक पकड़ा नहीं जा रहा था कहा थी हमारी पुलिस की व्यवस्था क्या ऐसे लोगो को राज्यनैतिक संरक्षण प्राप्त था। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहुंगा पुलिस के नौजवानों को कि आप आपनी रक्षा स्वयं करीये और अपने आपको सुरक्षित रखते हुये कार्यवाही करीये इस देश की राजनीति आपको केवल श्रद्धांजली देने के अलावा कोई नहीं है। आपको श्रंद्धाजली दिया जायेगा, मुश्कुराया जायेगा और खाकर चला जायेगा और फिर प्रचार–प्रसार करने लगेगा, उनको यह लगता है कि इस देश के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। इस ई.आई.ए. में तो कितने ग्राम प्रभावित होगें ये भी नहीं लिखा है। बंजारी मंदीर आस्था का केन्द्र था लेकिन इसे जनसुनवाई का मंच बना दियें। रायगढ़ जिले का पाली गांव अनुसूचित क्षेत्र के बाहर आता है और जनसुनवाई अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी है की ई.आई.ए. टी.ओ.आर. के हिसाब से बनी है की नहीं। अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत् आवेदन जमा के 45 दिवस के अन्दर जनसुनवाई कराना होना होता है, लेकिन यह तो एक वर्ष से अधिक हो गया है। यहां से पाली 08 कि.मी. दूर है जहां जनसुनवाई हो रहा है तो इस अप्रेल में गर्मी में वहां के लोग कैसे आयेगें। अनुकुल परिस्थिति

नहीं है तो यह जनसुनवाई क्यों। आज जो 500–600 लोग यहां आये थे वो करोना से मृत्यु होती है तो क्या कलेक्टर इसके जिम्मेदार होगें। प्रभावित क्षेत्र 56 गांव है और ई.आई.ए. सिर्फ 06 गांव जाती है, एस.डी.एम. घरघोड़ा, कलेक्ट्रेट रायगढ़ जाती है लेकिन रायगढ़ एस.डी.एम. में नहीं जाती। इनका बहाना है कि कोरोना काल में गांव–गांव में जाकर ई.आई.ए. पहुचाना संभव नहीं है लेकिन जनसुनवाई में बुलाना संभव है। बाहर में एक–एक बस में 70–80 व्यक्तियों को लेकर लाया लेजाया जा रहा है। पिछले कई जनसुनवाई इसी जगह में हो रही है लेकिन ई.आई.ए. रिपोर्ट में कही 43 प्रभावित गांव है, कही 40 गांव, कही 56 है। यहां लोगो के साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहे है। 14.09.2006 अधिसूचना में कहीं नहीं लिखा है कि कोई अपनी बात 10–15 मिनट में बोले। यहां नलवा के जनसुनवाई का डाटा आज भी ई.आई.ए. में चल रहा है। यहां ग्रामीण जनता की संख्या 42000 आस–पास है, आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, जल–जंगल की क्या स्थिति है ये सब ई.आई.ए. में दर्शित नहीं है। हर्रा बेहरा, तेन्दु पत्ता आदि पहले आदिवासी लोगो का जीवन यापन का साधन था जिसे पुरा समाप्त कर दिया गया है। जिन आदिवासी समुदाय के जमीन पर उद्योग स्थापित होता है तो उन पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक सरपंच ने बताया कि उद्योगपति में कहा कि मुझे एनओसी नहीं दोगे तो सरपंच पद से हटवा देगें। रायगढ़ जिले में पहले सड़क की स्थिति और आज की स्थिति से बहुत अच्छा था। एजुकेशन का स्तर 1994 के समय में किरोड़ीमल को हटा दिया जाये तो रायगढ़ जिला में एक भी इंजीयरिंग कालेज नहीं बना हास्पीटल नहीं बना। कागजो में जितना विकास करते है की लोग सोने–चांदी की सड़को में चलेंगें। 356 करोड़ रूपये डी.एम.एफ. में है, फिर भी सड़क नहीं है। प्रदूषण मापक यंत्र एवं डेससबोर्ड आज तक नहीं लगा, कैसे पता चलेगा कि यहां पी.एम. 10, पी.एम. 2.5 की मात्रा कितनी है। विकास बाद में करना पहले स्वास्थ्य के बारे में तो सोच लों। कलेक्ट्रेट के उपर लगवा दो, एक मापक यंत्र लगा है जिंदल में। मैं 14.09.2006 क अनुसार अपनी टीका टिप्पणी रखने आता हूँ। ग्रामपंचायत सराईपाली, विकासखसण्ड तमनार जहां दो सिलका का खदान लगे हुये है, जिससे सिलिकोशिश बीमारी होता है। जहां स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तो 12 लोग इस बीमारी से ग्रसीत पाया गया जिसमें से 02 की मौत भी हो गई, लेकिन यह सब ई.आई.ए. में दर्ज नहीं है। पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण में नोटिस दे दिया जाता है और एक सप्ताह में उसे संचालन का परमिशन भी दे दिया जाता है। हमारा एन.जी.टी. का केन्द्र भेपाल है जहां कोई जज नही है। एन.जी.टी. के 05 सदस्य की टीम ने रायगढ़ जिले का अध्ययन किया और एन.जी.टी. ने नये उद्योग की स्थापना और विस्तार नहीं किया जाना है आदेशित हुआ लेकिन ये जनसुनवाई क्यों। इन 03 महिना के अन्दर जितनी जनसुनवाई हुआ है जिसे हम एन.जी.टी. खुद लेकर जायेगें। हम भी चाहते है की उद्योग स्थापित हो, रोजगार मिले, स्थानीय लोगो का विकास हो, लेकिन जो क्लीयरेंस मिला है उसका पालन तो करों। एक ई.एस.पी. को चलाने में 500–700 रू. की लागत आती है लेकिन उसे बचाने के लिये लाखो लोगो की जिंदगी दाव में लगाते है। लोगो के साथ खिलवाड़ मत करें। हमारी गाड़ी का इण्डिकेटर टुट जाता है तो पुलिस 500 का जुर्माना काट देती है और उद्योग इतनी बड़ी आपराधिक कार्य कर रही है तो पुलिस उसका प्रोटेक्शन करती है। केलो नदी पर फ्लाई ऐश का मामला था उसे हमने पर्यावरण विभाग भेजा उसमें तुरन्त कार्यवाही हुआ। आप और हम मिलकर पर्यावरण की रखवाली का कार्य करेगें तो रायगढ़ का विकास कार्य एवं स्थति अनुकुल हो

जायेगा। आप जंगली जानवर के संरक्षण, बिजली पानी, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में काम करे, हम आपके साथ है। मैं समर्थन या विरोध करने नहीं आता। मैने रेड्डी साहब से बोला किसी भी उद्योग के जनसुनवाई से पहले मिलकर एक ऐसा ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते है जिसमें सभी डाटा रहेगें। 18 करोड़ पेड़ लगाया गया है तो मैने वन मण्डलाधिकारी से पुछा तो वो बता नहीं पाये। इससे अच्छा है कि काम कम करें और बेहतर करें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और प्रशासन आज इस दिवस पर बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है।

457. इनोसेन कुजुर, बहुजन समाज पाटी, – जिला प्रशासन द्वारा अभी कोरोना काल में धारा 144 लगा हुआ है। अभी 5 आदमियों से ज्यादा लोग एक साथ रहने को नहीं है और यहां जन सुनवाई में भीड़ गला है। मेरा पुरा विरोध है। खेल कुद, सांस्कृतिक प्रोग्राम, स्कूल, जुलुस, रैली, धरना सब आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। हमारा अनुरोध है कि इसे रद्द किया जाये। कल कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कंपनी का समर्थन हम करेगें लेकिन र्प्यावरण का ध्यान दिजीए, रोजगार दिजीए। किसी प्राकर का मशीन नही चालाया जाता है प्रदूषण को रोकने के लियें। ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बिना जन सुनवाई कराई जा रही है। प्रभावित स्थानीय लोगो को पुर्नवास, मुआवजा, रोजगार की व्यवस्था किया जाये। ये पाली का जन सुनवाई है तो इससे वहीं होना चाहिए। ये मिली भगत है प्रशासन के साथ । पहले रोड़ कैसा था र्प्यावरण केसा था ओर आज कैसा है।

458. राजेश नायक, कुसमुरा – र्प्यावरण अधिकारी एवं अन्य अधिकारी गण सब बिन्दु को सुनते है तो उस पर कोई कार्यवाही क्यो नहीं होगी। हमारे देश का कानुन और सविधान को बौना बना दिया गया है जिस पर विकास का दौर भारी पड़ रहा है। मानव जाति को बचाने के लिये आज विश्व में जो पहल हो रही है और हम यहां काले धुआ चिमनीयों में है उसे सुधारना होगा। गांव में जो बिमारी हो रही है उसके तो लक्षण भी नहीं मालुम हो रहा है। इस क्षेत्र के जो साग–सब्जी में जो गुणवत्ता पहले थी वो आज नहीं रही है। जल/वायु प्रदूषण के माध्यम से साग–सब्जी में उर्वर और पोष्टीक समाप्त हो गई है। आज मनुष्य की हसी को समाप्त हो गई प्रदूषण से और मनुष्य चिड़चिड़ा हो गया है। उद्योगपति यहां नहीं रहते यहां का पानी/हवा को ग्रहण नहीं करते तो क्या जानेगें। पहले हम इस एरिया में पौधे को देखते थे हरा भरा था आज हरियाली तो दिख ही नहीं रही जो कोयले के धुओं से काली हो गई है।

459. राजेश गुप्ता, सराईपाली – आज पहली बार हमारे गांव में ई.आई.ए. रिपोर्ट मिला। पहले नहीं जाता था। मैने पढ़ा जिसमें इस क्षेत्र के बारे कम और अन्य क्षेत्र के बारे में ज्यादा बात है। जिसमें पाली गांव का कोई बात नहीं है। देलारी गांव में झरना है उसका जिर्क नहीं है। पाली में तालाब है जिसमें फ्लाई डाला जाता है। हमारे गांव में सिलिकोश्सिाश बिमारी है जिसमें मैं काम काम करता हूं। यहां कोई स्वासयि कैम्प नहीं लगाया जाता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है जिसमें स्वास्थ्य कैम्प लगाना चाहिए उस समय में जन सुनवाई करा रहे है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। यहां लगभग 500 लोग आये है। हमे शुद्ध वातावरण में जीने व शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। इसके लिये हम कलेक्टर साहव से शिकायत देते है तो कोई कार्यवाही नहीं होती। आप एसी गाड़ियों आते है तो आपको कहां पता चलेगा। हमारा क्षेत्र भयानक स्थिति में है। आप एक दिन हमारे गांव में रह कर देखिये तब पता चलेगा। मुझे नहीं चाहिये ऐसा विकास जो में

जान को जोखिम करे। मैं सभी कंपनियों का विरोध करता हूँ। प्रत्येक दिन हम जब निकलते है तो हमारा पैर काला हो जाता है प्रत्येक कंपनी 40–50 बोर चलाता है और किसान को एक बोर की अनुमति नहीं है। सारे तालाब सुख गये है। आज आप हमारे स्थिति को समझिये हम और विकास नहीं चाहते है।

460. सुनील मिंज, सर्व आदिवासी संघ, रायगढ़ – मै इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। बिना ग्राम सभा के सहमति के यह जन सुनवाई हो रहा है। हम केश दायर करेंगें।

461. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ :– आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारत देश के जिला रायगढ़ के प्रशासन जो इतिहास रचा है उसे कोई भुला नहीं पायेगा। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृति आयोजनो को प्रतिबंध किया गया है आगामी आदेश तक। क्या कलेक्टर महो. के आदा की अवहेलना करने के लिये यह जन सुनवाई हो रही है। मैने पुछा कलेक्टर साहब से कि 09 फर्जी जन सुनवाई आपके द्वारा कराई गई है। अभी जितने 10 जन सुनवाई हो चुकी है उसका मुल्यांकन कराये और केन्द्रीय मंत्रालय रिपोर्ट पहुचाया जाये। इस जन सुनवाई को यही निरस्त किया जाना कानुन और जन हित के लिये सही है। कंपनी के कंस्लटेंसी से आप पुछ लिजीए की किस किस जगह से मिट्टी/पानी का सेम्पल लिया गया है और कौन कौन गांव से पंचनामा किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस जन सुनवाई को यही पर विराम दे निरस्त करें। कानुन को दृष्टिगत् रखते हुये इसे निरस्त करें। कटारा साहब भी भ्रष्ट है मैं उन्हे दण्डित कराउंगा। न्यायीक प्रशासनिक लोग भ्रष्ट हो रहे है। जन सुनवाई सुनने और बोलने का नहीं है न्याय देने का है। आप न्याय दिजीए। इनके द्वारा फर्जी ई.आई.ए. फर्जी दस्तावेजो को प्रयेाग किया गया है जो आपाराधिक है। जब तक रायगढ़ क प्र्यावरण प्रभाव का मुल्याकंन नहीं हो जाता है तब तक नये एवं विस्तार उद्योग का नहीं होना चाहिए। क्या इस जन सुनवाई के लिये राष्ट्रपति के द्वारा या राज्य पाल का सहमति है। उद्योगपति करोड़ो रूप्ये देकर लोगो के जीवन का खिलवाड़ कर रहे है। रायगढ़ जिला में आधा दर्जन से अधिक दण्डाधिकारियों ने जन सुनवाई को निरस्त किया है। जन सुनवाई विधि संगत नहीं है तो इसे निरस्त करें। क्या कलेक्टर साहब का दोहरा चरित्र है। करोनो से मरने वाले तो बाद में मरेंगें यहा सड़क दुर्घटना एवं नक्शवादियों से लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुयें है। लेकिन हम तो कीड़े–मकोड़े की तरह मर रहे है। कलेक्टर रायगढ़ के आदेशानुसार शादी विवाह मरने में एक लिमिट लोगो की संख्या दर्ज की गई है लेकिन क्या जन सुनवाई में नही है। कटारा साहब भ्रष्ट है, चोर है उद्योगपतियों के पिट्टु है। मै ये सब बोल रहा हू वो केन्द्रीय मंत्रालय भेजने के लिये विडियो में नहीं बोल रहा हूँ। आप भी पिछले अधिकारी की तरह भ्रष्ट मत बनियें। कानुन के उल्लधंन में न्यायिक पद पर बैठे अधिकारी मौन है तो वो भी उद्योगपति के पिट्टु है। मै मास्क नहीं लगाउंगा चालान काटे मेरा। आप कलेक्टर महो. से सलाह ले और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से और इस जन सुनवाई को निरस्त करें। रद्द करें। हम न्यायपालिका को वो मानते है जो हमें जीवन जीने का अधिकार है। क्या कलेक्टर महो. पता नहीं है क्या कि फर्जी जन सुनवाई हो रही है। न्याय के लिये क्या मै सशस्त्र ले कर नक्सल लोगो के साथ मिल जाउ। सुप्रीम कोर्ट में सारे आदमी भ्रष्ट है। मुझे दण्डित करे और जेल भिजवाये नही तो इसे निरस्त करें। यहां के 50–50 फीट में गार्डनिंग होना चाहिए। नवीन जिंदल ने इंजीनियरिंग कालेज को सी.एस.आर. से बने हास्पीटल को गर्वनमेंट को हेण्डओव्हर नहीं

किया है। 14.09.2006 का नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ लिजिए क्या उसके अनुरूप हो रहा है ये जन सुनवाई। यहां जो भी दण्डाधिकारी के पद पर उनसे आप सुझाव सलाह ले ले। रमन सिंह के खिलाफ मैंने याचिका लगा रखा था, तो चीफ जस्टीस ने छुट्टी लेकर चला गया। आप जिला, राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियमों का उल्लधन कर रहें। यहां से 10 कि.मी. की परिधि में रायगढ़ भी है तो वहां ई.आई.ए. रिपोर्ट क्यो नहीं गया है। क्या मुझे न्याय के लिये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जाना पड़ेगा। आप निर्णय ले साहब। आप कंपनी के कन्सलटेट से पुछिये की कहा कहां से कब कब इन्होने सेम्पल लिये है। छ.ग. की जनता को न्याय दिजीए। आप भी सविधान का पालन नहीं कर सकते, तो जाईयें घर। ई.आई.ए. रिपोर्ट में न तो बच्चो की संख्या, न तो महिलाओ की, न ही सामाजिक धार्मिक एवं एतेहासिक जगहो के बारे में है। बता दीजिए फिर की यहां तानाशाही चलेगा। मै सविधान को कंलकित नहीं होने दुगां,जिसके लिये हमारे कई नवजवान एवं पुर्वज का देन है। क्या कलेक्टर साहब ने अलग से आदेश किया गया है क्या जन सुनवाई के लियें। इस जन सुनवाई के लिये आप को अलग से अनुमति किसने दिया है। मुझे न्याय, दे साहब। उद्योगों का प्रशासनिक अधिकारियों का जो साठ–गाठ है सामने आना चाहिए। मैं बार–बार निवेदन करता हूँ कि आपने संविधान अनुरूप निर्णय लिया। कलेक्टर महोदय ने मुझे कहा है कि और कोई जनसुनवाई नहीं होगा और आज यह जनसुनवाई हो रही है। मैं न्याय के लिये गोहार कर रहा हूँ और मुझे न्याय दीजिए। नोटिफिकेशन में प्रावधान है कि तीन मौसम में जल, वायु एवं पानी का सैम्पल लेना है। मैं एक जनसुनवाई में आया था तो कटारा साहग गोल हो गये थे जबकि 05 बजे तक होना था और जनता आति है तो एक सप्ताह तक बैठना होगा। कंपनी वाले मेरे घर में मिलने आये थे और बोले साहब एक बार तो मिल लो। कंपनी वाले कोई तो आये और बोले कि यह ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है। पीठासीन अधिकारी महोदय आप जाइये पाली, देलारी मोटर साईकल में आप को पता चल जायेगा कि आप यह जनसुनवाई क्यों करा रहे है। मैं पीछे कदम उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मरना पसंद करूंगा, सहादत करूंगा। मैं कानुन का इतना जानकार हो गया हूँ कि अब मुझे कानुन की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नही है। यहा इस पंडाल में कोई न्याय लेने के इच्छुक नहीं है। जो कानुन को समझते है वो आये मेरे पास। खड़े कर मुझे सजा मत दीजिए मुझे न्याय दीजिए सर। कलेक्टर साहब ने सायद आपको न्याय देने के लिये भेजा है। क्या यहा शोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि साहब मुझे तुरंत न्याय देंगे। पीठासीन अधिकारी अगर महामारी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे है तो वे भी दण्ड के भागीदारी है। धार्मिक, राजनैतिक कार्याक्रम सारे बंद है तो यह जनसुनवाई कैसे होगी। मैं अब पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा और कहूंगा कि ये अपराध कर रहे है या नहीं। आप कानुन का उल्लंघन कर रहे है तो मैं किससे बात करू। मैं आपको कानुन का उल्लंघन करने के लिये क्या आप को मैं छुट दे दू। समापन में प्रश्न पुछने का अधिकार है मेरा। आप क्या कानुन जानते हो।

462. सुरेश अग्रवाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

463. यश अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

464. दीपक अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

465. श्यामलाल, गेरवानी -- मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

466. रूपेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

467. पद्मलोचन, सराईपाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

468. दुलाराम, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

469. रतन सिह, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

470. बाबुलाल, पाली – इससे पूर्व ओर भी जन सुनवाई में 2.5 लाख का ग्राम में काम कराने की बात हुई थी अभी तक नहीं हुआ है। भारी वाहनों से पशुओं की मौत होता है। 45 तालाबों का गहरीकरण कार्य के लिये कहा गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हमारे गांव के दो–चार आदमी पैसे के पीछे भागते है। रोड़ बनना चाहिए। उसमें पानी छिड़काव होना चाहिए। जितने भी प्लांट है उसमें अग्रोहा स्टील प्लांट बहुत अच्छा है। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ। मेरा 30 एकड़ का जमीन में ही प्लांट बसा है। लेकिन हमारे घर के कोई भी नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी मिलना चाहिए। मां काली द्वारा काम कराउंगा करके पाईप लगा दिया गया है। पैसा साट–घाट करके खा जाते है कोई विकास नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 4:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि इण्डकशन फर्नेश में प्रदूषण के रोकथाम के लिये बैग फिल्टर लगाया जायें। रोजगर में स्थानीय लोगो को दिया जायेगा। 45 दिन का जन सुनवाई में होना है। देलारी तराईमाल, ढिमरापुर रायगढ़ कुल मिलाकर 08 जगहो से सेम्पल लिया है। इससमें सिलिकोशिश उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं है। हमें 56 गांव दिखाया गया है वो 10 कि.मी. की परीधी में है।

सुनवाई के दौरान 01 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। ततपश्चात सायं 5:15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

07/5/21
(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

7/5/21
(आर. ए. कुरूवंशी)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)